न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, धोरीमना, (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री लाखाराम, आर.ए.एस.**
राजस्व आवेदन संख्या : **61/2022**

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. भागीरथराम पुत्र भूराराम उम्र 33 वर्ष जाति विश्नोई निवासी भादुओं की बेरी सुदाबेरी खुर्द तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।		1. गंगाराम पुत्र कालूराम उम्र 53 वर्ष जाति विश्नोई निवासी भादुओं की बेरी हाल निवासी अजाणियों की ढाणी तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर। 2. तहसीलदार, धोरीमन्ना।

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम वास्ते इन्द्राज व तरमीम दुरस्त करने बाबत्

तारीख रजू : 17/05/2022

अधिवक्तागण :–

1. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री हापूराम गोदारा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 06/12/2022

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश विश्नोई द्वारा एक आवेदन अंतर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने एक खेत विप्रार्थी संख्या 1 से तहसील धोरीमन्ना के पटवार मण्डल सुदाबेरी के ग्राम भादुओं की बेरी के खेत खसरा नम्बर 159/2 रकबा 2 बीघा में से रकबा 1 बीघा भूमि जरिए रजिस्ट्री दिनांक 09.04.2018 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 30 में पृष्ट संख्या 160 के क्रम संख्या 285 पर पंजिबद्ध कर उक्त बैचाननामा में पृष्ट 2 पर वक्त आराजी के अड़ोस–पड़ोस दर्ज करते हुए उत्तर दिशा में डाम्बर सड़क दक्षिण दिशा में भूराराम की भूमि पूर्व दिशा में मेरे स्वयं यानि बैचानकर्ता गंगाराम विप्रार्थी संख्या 1 की भूमि व पश्चिम दिशा में भाखराराम की भूमि आयी हुई है तथा इस रजिस्ट्री के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में नामांतरकरण संख्या 300 दिनांक 05.06.2018 को दायर कर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा स्वीकृत किया गया तथा बैचानकर्ता उक्त खसरे का एकल खातेदार होने से उक्त भूमि का हाथों हाथ विभाजन कर प्रार्थी का खसरा संख्या 159/3 रकबा 1 बीघा कायम हुआ तथा बैचाननामा में वर्णित पड़ौस अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम दर्ज करनी थी तथा उक्त नामांतरकरण के अनुसार हल्का पटवारी द्वारा तरमीम कर दी गई। अरसा कुछ दिन पूर्व प्रार्थी ने अपने खेत की जमाबंदी व नक्शा प्राप्त किया तो प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि प्रार्थी के बैचाननामा में उत्तर दिशा में स्थित डामर सड़क कहीं भी खसरे से नहीं लग रही है अर्थात् हल्का पटवारी द्वारा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करते समय उक्त भूमि को उत्तर दिशा की जगह अन्य दिशा में खसरे का विभाजन कर दिया जिससे बैचाननामे में वर्णित पड़ौस [illegible] तरमीम हो गई जो बैचाननामे के अनुसार हल्का पटवारी द्वारा की गई कल्मी त्रुटि को दुरस्त क[illegible] का [illegible]कारी होने से यह तरमीम दुरस्ती का आवेदन पेश है। प्रार्थी द्वारा पेश नजरिये नक्शा परिशिष्ट अनुसार पटवारी द्वारा की गई तरमीम पूर्व से पश्चिम की जगह दोनों खसरों के बीच की लाइन उत्तर से [illegible] करने पर दोनों खसरे उतर की तरफ खसरा संख्या 160 में स्थित डामर सड़क से मिलेंगे तथा दक्षिण की तरफ दोनों खसरे भूराराम पुत्र धनाराम के खसरा संख्या 159/1 से मिलेंगे तथा प्रार्थी का खसरा पश्[illegible] की तरफ होने से विप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के पूर्व में होगा तथा भाखराराम प्रार्थी के पश्चिम में होगा इस प्रकार नजरी नक्शा में वर्णित अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने का अधिकारी है तथा उक्त तरमीम दुरस्ती से खसरा नम्बर व क्षेत्रफल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। प्रार्थी द्वारा उक्त त्रुटि को दुरस्त हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना से निवेदन किया परंतु तहसीलदार द्वारा अपने कार्यालय हाजा के अधिनस्थ कर्मचारी के कल्मी त्रुटि को सुधारने हेतु धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम में आवेदन पेश करने की सलाह देने पर अन्दर म्याद यह राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.01.30 15:19:51 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन पेश है। उक्त विवादग्रस्त आराजी ग्राम भादुओं की बेरी पटवार हल्का सुदाबेरी तहसील धोरीमन्ना में स्थित होने से श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में है। उक्त प्रार्थना पत्र तकनीकी भूल से गलत तरमीम व इंद्राज को दुरस्त करने का होने से धारा 131 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में पेश है। तथा न्याय शुल्क के रूप में 2/– के मुद्रांक पेश है। प्रार्थी की इस्तदुआ है कि निम्नांकित आदेश बहक प्रार्थी एवं खिलाफ विप्रार्थीगण सादिर फरमाई जावे। (क) प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 की ग्राम भादुओं की बेरी पटवार हल्का सुदाबेरी तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 159/2, 159/3 के मध्य विभाजक रेखा पूर्व पश्चिम की जगह उत्तर दक्षिण में बनाकर नजरी नक्शा में वर्णित अनुसार लट्ठा ट्रेस में तरमीम दुरस्त कर ऑनलाईन राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती का आदेश प्रदान करावें। (ख) प्रार्थना पत्र का खर्चा प्रार्थी को विप्रार्थीगण से दिलवाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. किया गया अप्रार्थीगण को जरिए रजि. डाक तलब किया गया अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री हापूराम गोदारा ने वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सभी पैरा को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि हल्का पटवारी ने तरमीम करते समय सड़क रेकर्ड में दर्ज नहीं होने से विश्लेषण भूल की है एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि मुझे कोई उज्र ऐतराज नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा दर्शाए गए नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" के अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना स्वीकार है।

हमने भू–अभिलेख अधिकारी की हैसियत से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार धोरीमन्ना से रिपोर्ट मंगवाई। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी द्वारा गंगाराम पुत्र कालूराम (अप्रार्थी 1) से खसरा सं. 159/2 में से जरिए रजि. बैचाननामा 1–00 बीघा भूमि खरीद की गई। उक्त बैचाननामें के आधार पर म्यूटेशन सं. 300 दिनांक 06.06.2018 पारित कर नवसृजित खसरा सं. 159/3 रकबा 1–00 बीघा की तरमीम लट्ठा ट्रेस में की गई लेकिन लट्ठा ट्रेस में तरमीम करते समय लिपिकीय त्रुटि से मौके एवं कब्जे में भिन्नता उत्पन्न हो गई अतः नक्शा ट्रेस में परिशिष्ट 'क' के स्थान पर परिशिष्ट 'ख' के अनुसार तरमीम किया जाना उचित होगा।

लिहाजा हम उपर्युक्त विवेचन के आलोक में तहसीलदार धोरीमन्ना की रिपोर्ट के अनुसरण में परिशिष्ट 'क' (वर्तमान तरमीम) के स्थान पर परिशिष्ट 'ख' (प्रस्तावित तरमीम) के अनुसार तरमीम किया जाना उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। राजस्व मौजा भादुओं की बेरी, पटवार हल्का सुदाबेरी, तहसील धोरीमन्ना के खसरा सं. क्रमशः 159/2, 159/3 रकबा क्रमशः 0.1619, 0.1619 हैक्टेयर किस्म क्रमशः बारानी सोयम, बारानी सोयम की तरमीम तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में दर्शाए अनुसार परिशिष्ट 'क' के स्थान पर परिशिष्ट 'ख' के अनुसार किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देशित किया जाता है कि त्रुटिपूर्ण तरमीम (परिशिष्ट 'क') के स्थान पर सही तरमीम (परिशिष्ट 'ख') भू–राजस्व अधिनियम–1956 एवं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकर्ड्स) नियम 1957 के अंतर्गत की जावे। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

06.12.22

(लाखाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.01.30 15:19:51 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 06/12/2022 **को सर–ए–इजलास सुनाया गया।**

06.12.22

(लाखाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर